हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 64

शुक्रवार, 13 मार्च, 2015/22 फाल्गुन, 1936(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

11-05-00AM

प्रश्नोत्तरः

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 1519,1522,1523,1524, 1526, 1530 और 1531 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। संबंधित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 1475, तारांकित प्रश्न संख्या 1517,1518, 1520,1521,1525,1527,1528 और 1529 के उत्तर पर सभा पटल पर रखे समझे गए।

(II) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 758 से 760 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

11-58-50 AM

2. कागज़ात सभा पटल परः

(1) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** ने नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखी।

11-59-26 AM

3. सदन की समिति के प्रतिवेदनः-

श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2014-15) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **82वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **83वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **84वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का **85वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **वित्त विभाग (आधिक्य)** से सम्बन्धित है।

12-02-50 PM

4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चाः

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष
माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हस्तक्षेप कर स्पष्टीकरण दिया।

(सदन की बैठक 12-59-10 बजे अपराहन दोपहर के भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई)।

(सदन की बैठक अपराह्न 2-01-40 बजे पुनः आरम्भ हुई)।

2. श्री जी0एस0बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री

3. डॉ0 राजीव बिन्दल
माननीय मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप कर स्पष्टीकरण दिया।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने हस्तक्षेप कर कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा जिनका माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर दिया।

4. श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री
डॉ राजीव बिन्दल एवं प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने कुछ बिन्दू उठाए जिन्हें माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने स्पष्ट किया।

5. श्री इन्द्र सिंह
माननीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री ने हस्तक्षेप कर स्पष्टीकरण दिया।

6. श्री कुलदीप कुमार
प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने हस्तक्षेप किया एवं स्वां नदी की चैनेलाईजेशन के संबंध में तथ्य स्पष्ट किए।

सदन की बैठक अपराह्न 03-51-27 बजे सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2015 के अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई ।